न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 17/2018

प्रार्थीगण :–

1 हडमान पुत्र गुमनारामजी जाति घांची निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. आसुलाल पुत्र चिमनाजी
2. पेमाराम पुत्र सरूपजी
3. मनाराम पुत्र अचलाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र हबताजी
5. भंवरलाल पुत्र राणाजी जाति घांची निवासी बालोतरा,तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री रोहित सोंलकी प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :–11.4.2018

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा के ख0 न0 1101/21 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0न0 1103/25 रकबा 3 बीघा रामसीन पटवार क्षेत्र रामसीन पचपदरा तहसील पचपदरा खातेदारी भूमि है ।विप्रार्थीगण सख्या –1 ता 5 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 05 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है ।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 29.1.2018 को तलब किया गया। विप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कि जाती

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय की बहस को सुना गया। विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखम्बंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम) 17/04/18
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा